

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 478—498

Dated: 11-4-2015

वस्त्र मंत्रालय

MINISTRY OF TEXTILES

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2015

सा.का.नि. 75.—केंद्रीय रेशमकीट बीज समिति, केंद्रीय रेशम बोर्ड के परामर्श से और केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) को धारा 13क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय रेशम बोर्ड रेशमकीट बीज विनियम, 2010 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

- (1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय रेशम बोर्ड रेशमकीट बीज (संशोधन) विनियम, 2015 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। केंद्रीय रेशम बोर्ड रेशमकीट बीज विनियम, 2010 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है) के विनियम-10 के उप विनियम (1) के परंतुक में "एक महीने" शब्दों के स्थान पर "एक सप्ताह" शब्द रखे जाएंगे।
- (3) उक्त विनियमों के विनियम-15 के परंतुक में, "एक महीने" शब्दों के स्थान पर "एक सप्ताह" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 2501/3/2014-रेशम (i)]

सीताराम गुप्ता, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2015

G.S.R. 75.—In exercise of the powers conferred by Section 13A of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948), the Central Silk-worm Seed Committee in consultation with the Central Silk Board and with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following amendments to further amend the Central Silk Board Silk-worm Seed Regulations, 2010, namely :—

- (1) **Short title and commencement**—These regulations may be called the Central Silk Board Silk-Worm Seed (Amendment) Regulations, 2015.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official gazette. In the Central Silk Board Silk-Worm Seed Regulation, 2010 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 10, in sub-regulation (1), in the proviso for the words "one month", the words "one week", shall be substituted.
- (3) In the said regulations, in regulation 15, in the proviso, for the words "one month" the words "one week" shall be substituted.

[T. No. 2501/3/2014/Silk (i)]
SITARAM GUPTA, Under Secy.

(2)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2015

सा.का.नि. 76.—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) की धारा 13 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय रेशम बोर्ड नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय रेशम बोर्ड नियम, 1955 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के—

नियम 47 में उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“(1) किसी भी प्रकार या उपजाति के रेशमकीट बीज या रेशम कीट बीज को या के उत्पादन या चाकी कीटों के कीटपालन का इच्छुक कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए रेशमकीट बीज उत्पादक के रूप में प्ररूप-12(क) में, चाकी कीटपालक के लिए प्ररूप 12(ख) और बीज को या उत्पादक के लिए प्ररूप-12(ग) में तीन प्रतियों में रजिस्ट्रीकरण समिति को आवेदन करेगा।”

3. उक्त नियमों के नियम 49 के उप-खण्ड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“(क) प्ररूप-14(क) में रेशमकीट बीज के उत्पादक को ;

(ख) प्ररूप-14(ख) में चाकी कीटपालक को ;

(ग) प्ररूप-14(ग) में बीज को या उत्पादक को।”

4. उक्त नियमों में, परिशिष्ट में, प्ररूप 12 के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात् :

“प्ररूप-12 (क), प्ररूप-12 (ख) और प्ररूप-12 (ग)।”

5. उक्त नियमों में, परिशिष्ट में, प्ररूप 14 के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात् :

“प्ररूप-14 (क), प्ररूप-14 (ख) और प्ररूप-14 (ग)।”

[फा. सं. 25011/3/2014-रेशम (ii)]

शीतानम गुप्ता, अवर सचिव

प्ररूप-12(क)
[पिना 47 () देखें]

रेशमकीट बीज उत्पादक के रूप में रजिस्ट्रीकरण/नवीकरण के लिए आवेदन-पत्र

में में,

अध्यक्ष
रजिस्ट्रीकरण समिति
केन्द्रीय रेशम बोर्ड
कोलार

पासपोर्ट साइज सीन
फोटोग्राफ लगाएं [2.5
से.मी. × 3.5 से.मी.]

(1) आवेदक का नाम [बड़े अक्षरों में]

(2) पिता/माता/पति का नाम [बड़े अक्षरों में]

(3) डाक पता : कर्मका सं : गली/गांव :
शेन/स्थान :
तालूक : जिला :
राज्य : पिन :

(4) दूरभाष नं./व्हा लैंड लाइन [एसटी डी कोड सहित] :

मोबाईल नं.

(5) उत्पादन केन्द्र का पता : कर्मका सं : गली/गांव :
शेन/स्थान :
तालूक : जिला :
राज्य : पिन :

(6) बताएं कि नए या विद्यमान [(✓) चिन्ह लगाएं] : नए आवेदक

शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र की प्रति
संलग्न करें [न्यूनतम मैट्रिकुलेशन]

: विद्यमान आवेदक

कम-से-कम 2005-06 अथवा इसके परे नवीकृत
लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति

(7) प्रशिक्षण प्राप्त [प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें]
[नए आवेदक को रजिस्ट्रीकृत संस्थान से कम-से-कम
तीन महीने का प्रशिक्षण प्राप्त किया होना चाहिए]

: प्रशिक्षण का स्थान

: प्रशिक्षण अवधि

(8) क्षेत्र [(✓) चिन्ह लगाएं]

: सहवृत्त तसर जोक तसर एरी भूया

(9) आवेदक का प्रकार [(✓) चिन्ह लगाएं]

: सरकारी पंच सं. निजी

(10) उत्पादित किए जाने हेतु प्रस्तावित रेशमकीट बीज
की किस्म/उत्पादित (संयोजन बताएं)

(11) रेशमकीट बीज उत्पादन इकाई की क्षमता

:

(4)

- (12) उत्पादित किए जाने हेतु प्रस्तावित रेशमकीट बीज की :
नाम
- (13) स्थापना वर्ष :
- (14) वर्तमान उत्पादन स्तर (लाखों में) :
- (15) भवन स्वामित्व का प्रकार [(√) चिन्ह लगाएं] : स्वयं परदे पर भाड़े पर
- (16) उत्पादन इकाई में उपलब्ध सुविधाएं :
- (17) इस आवेदन की तारीख को कार्यरत कर्मचारी/कामगारों की संख्या :
- (18) मांगतेय द्वाप्ट रां और तारीख :
- (19) कोई अन्य विवरण :

घोषणा

मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त विवरण मेरी/हमारी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और तत्संबंधी कोई भ्रम गलत नहीं है।

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

संलग्नक

(1)

(2)

(3)

कार्यालय उपयोग के लिए

प्राप्ति की तारीख :

निपटान की तारीख :

निपटारा

प्रास्थगित रखा है

नया

अस्वीकृत

प्ररूप 12(ख)
[नियम 47 (1) देखें]

चाँकी रेशमकीट पालक के रूप में रजिस्ट्रीकरण/नवीकरण के लिए आवेदन-पत्र

सेवा में

अध्यक्ष
रजिस्ट्रीकरण समिति
केंद्रीय रेशम बोर्ड
बेंगलूर

पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटोग्राफ लगाएं [2.5
सें.मी. × 3.5 सें.मी.]

- (1) आवेदक का नाम [बड़े अक्षरों में] :
- (2) पिता/माता/पति का नाम [बड़े अक्षरों में] :
- (3) डाक पता : कमरा सं. : गली/गांव. :
क्षेत्र/स्थान :
तालुक : जिला :
राज्य : पिन :
- (4) प्रमाण संख्या लैंड लाइन [एसटीडी कोड सहित] :
मोबाईल सं.
- (5) चाँकी कीटपालन केंद्र का पता : कमरा सं. : गली/गांव. :
क्षेत्र/स्थान :
तालुक : जिला :
राज्य : पिन :
- (6) बताएं कि नए या विद्यमान
[(√) चिन्ह लगाएं] : नए आवेदक
शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र की प्रति
संलग्न करें [न्यूनतम मेंट्रिकुलेशन]
: विद्यमान आवेदक
कम-से-कम 2005-06 अथवा इसके परे त्वीकृत
लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति ✓
- (7) प्रशिक्षण प्राप्त [प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें]
[नए आवेदक को रजिस्ट्रीकृत संस्थान से कम-से-कम
तीन महीने का प्रशिक्षण प्राप्त किया होना चाहिए] : प्रशिक्षण का स्थान
: प्रशिक्षण अवधि
- (8) क्षेत्र [(√) चिन्ह लगाएं] : राहगुत तसर ओक तसर एरी गुया
- (9) आवेदक का प्रकार [(√) चिन्ह लगाएं] : सरकारी गैस सं. निजी
- (10) विक्रम करने के लिए चाँकी कीटपालन करने
हेतु प्रस्तावित रेशमकीट बीज की किस्म/उपजाति
(संयोजन बताएं)
- (11) चाँकी कीटपालन केंद्र की क्षमता :

(6)

- (12) चॉकी कौटपालन करने हेतु प्रस्तावित मात्रा :
(13) सहतुत/परमोभी चौधा : क्षेत्रफल उप-जाति
(14) स्थापना वर्ष :
(15) चॉकी कौटपालन भवन स्वामित्व का प्रकार : खर्यं पट्टे पर धाटे पर
[(√) चिन्ह लगाएँ।]
(16) चॉकी कौटपालन केंद्र में उपलब्ध सुविधाएँ :
(17) इस आवेदन की तारीख को कार्यरत कर्मचारी/ कामगारों की संख्या :
(18) मांगदेय ड्राफ्ट सं. एवं तारीख :
(19) कोई अन्य विवरण :

घोषणा

मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त विवरण मेरी/हमारी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और तत्संबंधी कोई भ्रम नहीं है।

स्थान :

तारीख :

संलग्नक

आवेदक के हस्ताक्षर

(1)

(2)

(3)

कार्यालय उपयोग के लिए

प्राप्ति की तारीख :

निगटान की तारीख :

निगटान्या

प्रास्थगित रखा है

नया

अस्वीकृत

प्ररूप 12(ग)
[नियम 47 (1) देखें]

रेशमकीट बीज कोसा उत्पादक के रूप में रजिस्ट्रीकरण/नवीकरण के लिए आवेदन-पत्र

सेवा में

अध्यक्ष
रजिस्ट्रीकरण समिति
केंद्रीय रेशम बोर्ड
बेंगलूर

पासपोर्ट साइज रंगीन
फोटोग्राफ लगाएं [2.5
सें.मी. × 3.5 सें.मी.]

(1) आवेदक का नाम [बड़े अक्षरों में]

(2) पित/मात/पति का नाम [बड़े अक्षरों में]

(3) डाक पता : कमरा सं. : गली/गांव :
क्षेत्र/स्थान :
तालूक : जिला :
रज्य : पिन :

(4) दूरभाष संख्या लैंड लाइन [एस्.टी.डी कोड सहित] :

मोबाईल सं.

(5) कीटपालन करने हेतु प्रस्तावित शुद्ध रेशमकीट प्रजाति
की किस्म अथवा उपजाति

(6) क्षेत्र [(√) चिन्ह लगाएं] : शहवृत तसर ओक तसर एरी मूगा

(7) आवेदक का प्रकार [(√) चिन्ह लगाएं] : सरकारी गैस सं. निजी

(8) कीटपालन गृह का स्वामित्व [(√) चिन्ह लगाएं] : स्वयं पट्टे पर भाड़े पर

(9) विनिर्दिष्ट करें कि कीटपालन अलग कीटपालन गृह
में किया जाता है वा नहीं : हां नहीं

(10) शहवृत बग्यान/परपोषी पौधा : स्वयं पट्टे पर

(8)

- (11) कीटपातन गृह की क्षमता :
- (12) शहतूत/परसोंगों पौधा : क्षेत्रफल उप-जाति
- (13) स्थापना वर्ष :
- (14) मांगदेय ड्राफ्ट सं. और तारीख :
- (15) कोई अन्य बितरण :

घोषणा

मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त बितरण मेरी/हमारी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और तत्संबंधी कोई झगड़ गलत नहीं है।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

संलग्नक

(1)

(2)

(3)

कार्यालय उपयोग के लिए

प्राप्ति की तारीख :

निपटान की तारीख :

निपटाया

प्रास्थगित रखा है

अस्वीकृत

कृपया फोटो
चिपकाएं

प्रारूप-14(क)
[नियम 49(क) देखें]

रेशमकीट बीज उत्पादक का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र सं. : के ए/01/आर एस पी/3456/0001

केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) और केंद्रीय रेशम बोर्ड नियम, 1955 के उपबंधों तथा जहाँ नीचे उल्लिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, को में रेशमकीट बीज की किस्म या प्रकार के रेशमकीट बीज उत्पादक के रूप में उसके रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है।

तारीख स्थान : देहली

रजिस्ट्रीकरण के निबंधन और शर्तें

1. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र तक विधिमाम्य है, जब तक कि पूर्व में रद्द या निलंबित न कर दिया गया हो।
2. रजिस्ट्रीकृत बीज उत्पादक रेशमकीट बीज उत्पादन केंद्र के किसी प्रमुख या सहजदृश्य स्थान पर इस रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को संप्रदर्शित करेगा।
3. रजिस्ट्रीकृत बीज उत्पादक केवल इस प्रमाण-पत्र में अनुज्ञात अधिसूचित किस्म या प्रकार के रेशमकीट बीज का ही उत्पादन करेगा।
4. रजिस्ट्रीकृत बीज उत्पादक, यह सुनिश्चित करेगा कि रेशमकीट बीज की अधिसूचित किस्म या प्रकार के उत्पादन के लिए यथाविनिर्दिष्ट सुविधाएं गुणवत्ता मानकों के बनाए रखने की अपेक्षाओं या शर्तों को पूर्ण करती है।
5. रजिस्ट्रीकृत बीज उत्पादक (आर एस पी) रजिस्ट्रीकृत बीज को या उत्पादकों से ही बीज को या खरीदेंगे। यदि वाणिज्यिक चांकी कोटपालन के लिए बिक्री की जाती है तो रजिस्ट्रीकृत चांकी कोटपालकों को ही बिक्री की जाएगी।
6. रजिस्ट्रीकृत बीज उत्पादक, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को, इस प्रमाण-पत्र में स्वीकृत अपने बीज उत्पादन केंद्र के गते में किसी परिवर्तन की सूचना देगा।
7. रजिस्ट्रीकृत बीज उत्पादक, रेशमकीट बीज के उत्पादन के लिए उत्पादक द्वारा उपयोग में लाए गए परिसरों के निरीक्षण के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकृत समिति या उसके प्राधिकार के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य प्राधिकारी को प्रत्येक सुविधा प्रदान करेगा।

(अधिकारी का नाम)
अधिकारी का पदनाम
(फाइल सं.)

रजिस्ट्रीकरण समिति के आदेश द्वारा

कृपया फोटो
चिपकाएं

प्रारूप-14(82)
[नियम 49(क) देखें]

चाँकी रेशम कीटपालक का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

प्रमाण पत्र सं. : के ए/01/आर सी आर/2353/0001

केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) और केन्द्रीय रेशम बोर्ड नियम, 1955 के उपबंधों तथा यहाँ नीचे उल्लिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, को में रेशमकीट बीज की किस्म या प्रकार के चाँकी रेशम कीटपालक के रूप में उसके रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है।

संकेत : स्थान - बंगलूर

रजिस्ट्रीकरण के निबंधन और शर्तें

1. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र तक विधिमान्य है जब तक कि पूर्व में रद्द या निर्र्णित न कर दिया गया हो।
2. रजिस्ट्रीकृत चाँकी कीटपालक चाँकी कीटपालन केंद्र के किसी प्रमुख या सहजदृश्य स्थान पर इस रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को संप्रदर्शित करेगा।
3. रजिस्ट्रीकृत चाँकी कीटपालक इस प्रमाण-पत्र में अनुज्ञात केवल अधिसूचित किस्म या प्रकार के रेशमकीट बीज का ही उत्पादन करेगा।
4. रजिस्ट्रीकृत चाँकी कीटपालक यह सुनिश्चित करेगा कि रेशमकीट बीज की अधिसूचित किस्म या प्रकार के वाणिज्यिक चाँकी कीटपालन के लिए यथाविनिर्दिष्ट सुविधाएं गुणवत्ता मानकों के बनाए रखने की अपेक्षाओं या शर्तों को पूर्ण करती है।
5. रजिस्ट्रीकृत चाँकी कीटपालक (आर सी आर) रजिस्ट्रीकृत बीज उत्पादकों से ही रोग मुक्त चकत्ते खरीदेंगे।
6. रजिस्ट्रीकृत चाँकी कीटपालक रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को चाँकी कीटपालन केंद्र के पते में किसी परिवर्तन की सूचना देगा।
7. रजिस्ट्रीकृत चाँकी कीटपालक रेशमकीट बीज उत्पादन के लिए उत्पादक द्वारा प्रयुक्त परिसरों के निरीक्षण के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकरण समिति या उसके प्राधिकार के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य प्राधिकारी को प्रत्येक सुविधा प्रदान करेगा।

(अधिकारी का नाम)
अधिकारी का पदनाम
(फाइल सं.)

रजिस्ट्रीकरण समिति के आदेश द्वारा

कृपया फोटो
चिपकाएं

प्ररूप 14(ग)
[नियम 49(क) देखें]

बीज कोया उत्पादक का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

प्रमाण पत्र सं. : के ए/01/आर.एस.सी.पी./3676/0001

केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) और केंद्रीय रेशम बोर्ड नियम, 1955 के उपबंधों तथा यहाँ नीचे उल्लिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, को में रेशमकीट बीज को किस्म या प्रकार के बीज कोया उत्पादक के रूप में उसके रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है।

तारीख :

स्थान : बेंगलूर

रजिस्ट्रीकरण के निबंधन और शर्तें

1. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र तक विधिमान्य है, जब तक कि पूर्व में रद्द या निर्रिबित न कर दिया गया हो।
2. रजिस्ट्रीकृत बीज कोया उत्पादक अपने कीटपालन गृह के किसी प्रमुख या सहजदृश्य स्थान पर इस पंजीयन प्रमाण-पत्र को संप्रदर्शित करेगा।
3. रजिस्ट्रीकृत बीज कोया उत्पादक केवल इस प्रमाण-पत्र में अनुज्ञात अधिसूचित किस्म या प्रकार के शुद्ध रेशमकीट प्रजातियों का ही कीटपालन करेगा।
4. रजिस्ट्रीकृत बीज कोया उत्पादक, यह सुनिश्चित करेगा कि शुद्ध रेशमकीट प्रजातियों की अधिसूचित किस्म या प्रकार के कीटपालन के लिए यथाविनिर्दिष्ट सुविधाएं गुणवत्ता मानकों के बनाए रखने की अपेक्षाओं या शर्तों को पूर्ण करती है।
5. रजिस्ट्रीकृत बीज कोया उत्पादक (आर एस सी पी) रजिस्ट्रीकृत बीज उत्पादकों को ही अपने रेशमकीट बीज कोसों की बिक्री करेगा।
6. रजिस्ट्रीकृत बीज कोया उत्पादक, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को इस प्रमाण-पत्र में दिए गए पते में किसी परिवर्तन की सूचना देगा।
7. उत्पादक, कीटपालन गृह, रेशमकीट फसल या उत्पादित बीज कोया के निरीक्षण के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकरण समिति या उसके प्राधिकार के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य प्राधिकारी को प्रत्येक सुविधा प्रदान करेगा।

(अधिकारी का नाम)
अधिकारी का पदनाम
(फाइल सं.)

रजिस्ट्रीकरण समिति के आदेश द्वारा

(12)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2015

G.S.R. 76.—In exercise of the powers conferred by Section 13 of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Silk Board Rules, 1955 namely :—

1. (1) These rules may be called, the Central Silk Board (Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Silk Board Rules, 1955 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 47, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

“(1) Any person intending to produce silk-worm seed of any kind or variety or silk-worm seed cocoon or rear chawki worm shall make the application to the Registration Committee in triplicate for registration as silk-worm seed producer in Form 12(a), as a chawki rearer in Form 12(b) and as seed cocoon producer in Form 12(c).”

3. In the said rules, in rule 49, for sub-clauses (a) and (b), the following sub-clauses shall respectively be substituted, namely :—

“(a) to the producer of the silkworm seed in Form 14(a);

(b) to the chawki rearer in Form 14(b);

(c) to the seed cocoon producer in Form 14(c).”

4. In the said rules, in the Appendix, for Form 12, the following shall be substituted, namely :—

“Form 12(a), Form 12(b) and Form 12(c).”

5. In the said rules, in the Appendix, for Form 14, the following shall be substituted, namely :—

“Form 14(a), Form 14(b) and Form 14(c).”

[F. No. 25011/3/2014-Silk (ii)]
SITARAM GUPTA, Under Secy.

FORM-12(a)
[See rule 47(1)]

APPLICATION FOR REGISTRATION/RENEWAL AS A SILKWORM SEED PRODUCER

To:

The Chairperson
Registration Committee
Central Silk Board
Bangalore

Affix passport size
colour photograph
(2.5 cm × 3.5 cm)

- (1) Name of the applicant (in block letters) :
- (2) Name of father/mother/husband (in block letters) :
- (3) Mailing Address : Door No. : Street/Village :
Area/Locality :
Taluk : District :
State : PIN :
- (4) Phone Number Land Line (with STD Code) :
Mobile Number :
- (5) Address of Production Centre : Door No. : Street/Village :
Area/Locality :
Taluk : District :
State : PIN :
- (6) Mention whether NEW or EXISTING : NEW Applicant :
[put tick mark (✓)] Enclose copy of educational qualification certificate (minimum matriculation)
- EXISTING Applicant :
Enclose Licence copy renewed atleast upto 2005-06 or beyond/Registration Certificate
- (7) Training attended (Enclose certificate copy) : Place of training :
(new applicant should have undergone a minimum of three months training in a recognised institution) Period of training :
- (8) Sector [put tick mark (✓)] : Mulberry Tasar Oak Tasar Eri Muga
- (9) Applicant type [put tick mark (✓)] : Government NGOs Private
- (10) Kind or variety of silkworm seed proposed to be produced (mention the combinations) :
- (11) Capacity of the silkworm seed production unit :

(14)

(12) Quantity of silkworm seed proposed to be produced :

(13) Year of establishment :

(14) Present production level (in lakhs) :

(15) Building ownership type [put tick mark (✓)] :

OWN LEASED RENTED

(16) Facilities available in the production unit :

(17) No. of employees/workers working as on the date of this application :

(18) Demand Draft No. and Date :

(19) Any other details :

Declaration :

I/We declare that the information given above is true to the best of my/our knowledge and belief and no part thereof is false.

Signature of the applicant

Place :

Date :

Enclosures :

(1)

(2)

(3)

For office use

Date of receipt :

Date of disposal :

Cleared

Kept in abeyance

New

Rejected

FORM-12(b)
[See rule 47(1)]

APPLICATION FOR REGISTRATION/RENEWAL AS A CHAWKI SILKWORM REARER

To

The Chairperson,
Registration Committee
Central Silk Board,
Bangalore

Affix passport size
colour photograph
(2.5 cm × 3.5 cm)

- (1) Name of the applicant (in block letters) :
- (2) Name of father/mother/husband (in block letters) :
- (3) Mailing Address : Door No.: Street/Village:
Area/Locality: Taluk: District:
State: PIN:
- (4) Phone Number Land Line (with STD Code) :
Mobile Number
- (5) Address of Chawki Rearing Centre : Door No.: Street/Village:
Area/Locality: Taluk: District:
State: PIN:
- (6) Mention whether NEW or EXISTING : NEW Applicant :
[put tick mark (✓)] Enclose copy of educational
qualification certificate
(minimum matriculation)
- EXISTING Applicant :
Enclose Licence copy renewed
atleast upto 2005-06 or
beyond/Registration Certificate
- (7) Training attended (Enclose certificate copy) : Place of training
(new applicant should have undergone a minimum
of three months training in a recognised institution) Period of training
- (8) Sector: [put tick mark (✓)] : Mulberry Tasar Oak Tasar Fri Muga
- (9) Applicant type [put tick mark (✓)] : Government NGOs Private
- (10) Kind or variety of silkworm seed proposed to be :
chawki reared for selling (mention the combinations)
- (11) Capacity of the chawki Rearing Centre :

- (16)
- (12) Quantity Chawki Rearing proposed : :
- (13) Mulberry/host plant : Acreage Variety
- (14) Year of establishment : :
- (15) Chawki Rearing House Ownership : OWN LEASED RENTED
 [put tick mark (✓)]
- (16) Facilities available in the Chawki Rearing Centre : :
- (17) No. of employees/workers as on the date of this application : :
- (18) Demand Draft No. and Date : :
- (19) Any other details : :

Declaration

I/We declare that the information given above is true to the best of my/our knowledge and belief and no part thereof is false.

Signature of the applicant

Place :

Date :

Enclosures :

(1)

(2)

(3)

For office use

Date of receipt :

Date of disposal :

Cleared

Kept in abeyance

New

Rejected

FORM 12(c)
[See rule 47(1)]

APPLICATION FOR REGISTRATION/RENEWAL AS A SILKWORM SEED COCOON PRODUCER

To

Affix passport size
colour photograph
(2.5 cm × 3.5 cm)

The Chairperson,
Registration Committee
Central Silk Board,
Bangalore

- (1) Name of the applicant (in block letters) :
- (2) Name of father/mother/husband (in block letters) :
- (3) Postal Address : Door No.: Street/Village:
Area/Locality :
Taluk : District :
State : PIN :
- (4) Phone Number-Land Line (with STD Code) :
Mobile Number :
- (5) Kind or variety of pure silkworm race proposed to be reared :
- (6) Sector [put tick mark (✓)] : Mulberry Tassar Oak Tassar Eri Muga
- (7) Applicant type [put tick mark (✓)] : Government NGOs Private
- (8) Rearing House Ownership [put tick mark (✓)] : OWN LEASED RENTED
- (9) Specify whether rearing is done in separate rearing house : Yes No
- (10) Mulberry garden/host plant : OWN LEASED
- (11) Capacity of the rearing house :

(18)

- (12) Mulberry/host plant : Acreage Variety
- (13) Year of establishment :
- (14) Demand Draft No. and date :
- (15) Any other details :

Declaration

I/We declare that the information given above is true to the best of my/our knowledge and belief and no part thereof is false.

Signature of the applicant

Place :

Date :

Enclosures :

(1)

(2)

(3)

For office use

Date of receipt :

Date of disposal :

Cleared Kept in abeyance

Rejected

Please affix
Photograph

Form - 14(a)
[See rule 49(a)]

CERTIFICATE OF REGISTRATION OF SILKWORM SEED PRODUCER

Certificate No. : KA/01/RSP/3456/0001

Subject to provisions of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948) and the Central Silk Board Rules, 1955 and the terms and the conditions mentioned hereunder, is hereby granted Certificate of Registration registering him/her as Silkworm Seed Producer of kind or variety silkworm seed, at

Date :

Place : Bangalore

Terms and conditions of registration

1. The Certificate of Registration is valid up to unless previously cancelled or suspended.
2. The Registered Seed Producer (RSP) shall display this Certificate of Registration at a prominent and conspicuous place in the silkworm seed production centre.
3. The RSP shall produce only the silkworm seed of notified kind or variety as permitted in this Certificate.
4. The RSP shall ensure that the facilities as specified for production of notified kind or variety of silkworm seed meet the requirements or conditions for maintenance of quality standards.
5. The RSP shall buy seed cocoons only from Registered Seed Cocoon Producers and if sold for commercial chawki rearing purpose, it shall only be to Registered Chawki Rearers.
6. The RSP shall intimate to the Registration Authority any change in address of his/her seed production centre as mentioned in this Certificate
7. The RSP shall extend every facility to the Registration Committee or any other authority acting under its authority for the purpose of inspection of silkworm seed premises used by the producer for production thereof.

[Name of Officer]
Designation of Officer
[File No.]

By Order of the Registration Committee

(20)

Please affix
Photograph

Form - 14(b)
[See rule 49(a)]

CERTIFICATE OF REGISTRATION OF CHAWKI SILKWORM REARER

Certificate No. : KA/01/RCR/2353/0001

Subject to provisions of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948) and the Central Silk Board Rules, 1955 and the terms and conditions mentioned hereunder, is hereby granted Certificate of Registration registering him/her as Chawki Silkworm Rearer of kind or variety silkworm seed, at

Date :

Place : Bangalore

Terms and conditions of registration

1. The Certificate of Registration is valid up to unless previously cancelled or suspended.
2. The Registered Chawki Rearer (RCR) shall display this Certificate of Registration at a prominent and conspicuous place in the chawki rearing centre.
3. The RCR shall produce only the silkworm seed of notified kind or variety as permitted in this Certificate.
4. The RCR shall ensure that the facilities as specified for commercial chawki rearing of notified kind or variety of silkworm seed meet the requirements or conditions for maintenance of quality standards.
5. The RCR shall buy disease free layings only from Registered Seed Producers.
6. The RCR shall intimate to the Registration Authority any change in address of the chawki rearing centre.
7. The RCR shall extend every facility to the Registration Committee or any other authority acting under its authority for the purpose of inspection of silkworm seed premises used by the producer for production thereof.

[Name of Officer]
Designation of Officer
[File No.]

By Order of the Registration Committee

(21)

Please affix
Photograph

Form - 14(c)
[See rule 49(a)]

CERTIFICATE OF REGISTRATION OF SEED COCOON PRODUCER

Certificate No. : KA/01/RSCP/3676/0001

Subject to provisions of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948) and the Central Silk Board Rules, 1955 and the terms and conditions mentioned hereunder, is hereby granted Certificate of Registration registering him/her as Seed Cocoon Producer of kind or variety of silkworm seed, at

Date :

Place : Bangalore

Terms and conditions of registration

1. The Certificate of Registration is valid up to unless previously cancelled or suspended.
2. The Registered Seed Cocoon Producer (RSCP) shall display this Certificate of Registration at a prominent and conspicuous place in his rearing house.
3. The RSCP shall rear only the silkworm pure races of notified kind or variety as permitted in this Certificate.
4. The RSCP shall ensure that the facilities as specified for rearing silkworm pure races of notified kind or variety as permitted, meet the requirements or conditions for maintenance of quality standards.
5. The RSCP shall sell his/her silkworm seed cocoons only to Registered Seed Producers.
6. The RSCP shall intimate to the Registration Authority any change in address provided in this Certificate.
7. The producer shall extend every facility to the Registration Committee or any other authority acting under its authority for the purpose of inspection of the rearing house, the silkworm crop or the seed cocoons produced.

[Name of Officer]
Designation of Officer
[File No.]

By Order of the Registration Committee